

भारत सरकार/Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy  
परिवर्ती ऊर्जा साइकलोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064  
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2018/ 3167 दिसंबर/December 10, 2018  
11

सूचना / Notice

विषय : सीएचएसएस योजना क्षेत्र के बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओपीडी इलाज की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Sub : Reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area.

उपरोक्त विषय पर पड़वि के दिनांक 04.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/3/2017/IR&W(Vol.II)/15101 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/3/2017/IR&W(Vol.II)/15101 dtd. 04.12.2018 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कर्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।

All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office Memorandum for their information.

अजंन कुमार पात्रा  
(ए. के. पात्रा / A. K. Pattra)

सहायक कर्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer  
10.12.18

सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards :



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)

ई-मेल e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)फैक्स Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
ओ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

प. ऊ. सं. क. डी. ए. ई.  
V. E. C. C. D. A. E.  
अ. सं. एवं क. अनुभाग  
A. O. - III : Office  
अनुसूची  
INWARD No. 11608  
दिनांक / Date :- 5/12/18

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&amp;W(Vol.II) /15101

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस योजना क्षेत्र के बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओपीडी इलाज की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Sub : Reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area.

सीएचएसएस योजना क्षेत्र के बाहर रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओपीडी इलाज की प्रतिपूर्ति के संबंध में इस विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और सेवारत कर्मचारियों के दावों की प्रतिपूर्ति सीएस (एमए) के उपबंधों तथा सेवानिवृत्त लाभार्थियों के दावों की प्रतिपूर्ति सीजीएस के दरों के अधीन की जाए।

Reference has been received in this Department regarding reimbursement for OPD treatment to retired employees who stay outside CHSS area. In this regard it has been decided to maintain the status quo and reimburse the claims under the provisions of CS(MA) for serving employees and at CGHS rates for retired beneficiaries.

इसे सचिव, पञ्जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This is issued with the approval of Secretary, DAE

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआर एंड डब्ल्यू) Director (IR&amp;W)

सेवा में To

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी  
All CHSS Administering Authorities.

Unesh  
PLS. SPK-AP (GK)  
6/12/18  
6/12/18